बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
आदेश

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–3727 दिनांक 30.04.2009 द्वारा निर्धारित शर्त्तो के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के न्यायिक वादों में प्रतिशपथ पत्र/आवेदन इत्यादि दायर करने हेतु तथ्य विवरणी (अंग्रेजी में) तैयार करने के लिए निम्नलिखित विद्वान अधिवक्ताओं के नाम विभागीय पैनल में सम्मिलित किये जाते है :–

कमांक	नाम	पता	दूरभाष सं०/मोबाईल संख्या/ ई–मेल पता
1	श्री प्रशांत प्रकाश, एल. एल.एम.	राधा कुँज, रामनगरी, सेक्टर–4, पोस्ट–अशियानानगर, पटना–800025	8986275102, 09818770903 prashant4580@yahoo.co.in
2	श्री सतीश कुमार सिन्हा, एल.एल.बी.	सेक्टर–डी, जयप्रकाश नगर, अशियाना नगर रोड, पटना–800025	9279055741 tiwarisatish1971@gmail.com
3	श्री अनवर करीम, एल.एल.बी.	हथुआ पाठशाला के पीछे, पो.–जी.पी. ओ. साउथ मंदिरी, पटना, थाना–बुद्धा कॉलोनी, पटना–800001	9931642470, 9865419160 anwarkarim1962@gmail.com
4	श्री आलोक, एल.एल.बी.	रोड नं–23 एक्सटेंशन, श्रीकृष्णानगर, पटना, बिहार, पीन–800001	9835019097 alok_pat_law@yahoo.co.in
5	श्री मदन कुमार, एल.एल.बी.	मकान नं.–ए/23, बिन्दा साह, स्नेही पथ, डा0 बी0 भटटाचर्या रोड, पश्चिमी पटेल नगर, पटना–800023,	9931005268 madankumaradvocate@gmail.com

3. उपर्युक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित शर्त्तो के साथ विभिन्न न्यायिक वादों में विभाग की ओर से दायर की जाने वाली तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/अपील/आवेदन आदि के प्रारूप तैयार करने हेतु विभागीय पैनल में सम्मिलित किया जाता है :–

(i) प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने के लिए, यदि तथ्य विवरणी विभाग द्वारा अनुमोदित की जाती है तो, रू० 1,200.00 (एक हजार दो सौ रूपये) मात्र तथा प्रारूप के कम्प्यूटर टंकण, आदि मद में प्रति अनुमोदित तथ्य विवरणी रू० 300.00 (तीन सौ रूपये) मात्र, अर्थात कुल 1,500.00 (एक हजार पॉच सौ रूपये) मात्र की राशि भुगतेय होगी। यह दर राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों के आलोक में समय–समय पर बढ़ या घट सकती है।

(ii) संबंधित पैनल अधिवक्ता को प्रत्येक माह के प्रारंभ में विगत माह में तैयार की गई तथ्य विवरणियों की सूची के साथ अपना विपत्र विभाग को समर्पित करना होगा, जिसकी जॉचोपरान्त विभाग द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

(iii) संबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की अपेक्षा होगी कि संबंधित अधिनियमों/ नियमावलियों/विभागीय अनुदेशों से भली–भॉति अवगत हो लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय इनके सुसंगत प्रावधानों को उल्लेख किया जा सके।

(iv) संबंधित पैनल अधिवक्ता से विभाग की यह भी अपेक्षा होगी कि वे विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के मामलों में पूर्व में पारित महत्वपूर्ण न्याय निर्णयों की जानकारी भी प्राप्त कर लें, ताकि तथ्य विवरणी तैयार करते समय पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का समावेश भी तथ्य विवरणी में किया जा सकें।

(v) विभाग द्वारा सौपे गये मामलों के संबंध में पैनल अधिवक्ता द्वारा पूर्ण गोपनीयता बनाये रखी जानी होगी और इनसे संबंधित जानकारी विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किन्ही व्यक्ति/संस्था को नहीं दी जानी होगी। जिन मामलों में पैनल अधिवक्ता द्वारा विभाग के लिए तथ्य विवरणी तैयार की जाती है उनमें वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न तो कोई परामर्श विरोधी पक्ष या उनके प्रतिनिधि इत्यादि को देंगे और न उस मामले में विभाग के विरूद्ध किन्हीं का वकालतनामा स्वीकार करेंगे। प्रत्येक मामले में उनके द्वारा Professional Ethics का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) मामलों की महत्ता को देखते हुए विभागीय पैनल के अधिवक्ताओं से विभाग की यह अपेक्षा रहेगी कि विभाग द्वारा तथ्य विवरणी/कारण–पृच्छा/वाद इत्यादि दायर करने हेतु संबंधित मामलों में वे एक या दो दिनों के भीतर तथ्य विवरणी/प्रारूप आदि तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा देंगे ताकि माननीय उच्च न्यायालय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय/अन्य माननीय न्यायालयों में विभाग के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई में कोई विलम्ब न हों।

4. तथ्य–विवरणी तैयार कराने हेतु संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक का उत्तरदायित्व होगा कि सभी तथ्य, संचिका एवं आवश्यक अभिलेख के साथ संबंधित अधिवक्ता से सम्पर्क करेंगे अथवा विभाग में बुलाकर उन्हें सहयोग करेंगे। तथ्य–विवरणी बनाने के पूर्व सभी संबंधित कागजात एवं नई–पुरानी संचिकाओं से तथ्य संकलन का कार्य संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी एवं संबंधित सहायक द्वारा किया जाना चाहिए। इस प्रकार संकलित तथ्य सुसंगत नियमों के प्रति/पत्र–परिपत्र/संकल्प आदि के सम्बंधित कंडिका/नियम/ परिनियम/वाक्यांश को मार्कर से चिन्हित कर नोडल पदाधिकारी के माध्यम से तथ्य–विवरणी तैयार करने हेतु अधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे संबंधित अधिवक्ता से समय सीमा के भीतर तथ्य–विवरणी प्राप्त कर लेंगे। तत्पश्चात् अधिवक्ता द्वारा तैयार किए गए तथ्य विवरणी को सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी उन्हें महाधिवक्ता कार्यालय, निर्गत शाखा के माध्यम से भेज देंगे। प्रभारी विधि कोषांग अपने पर्यवेक्षण में उक्त कार्य सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।

5. पैनल का कार्यकाल एक वर्ष के लिए होगा, आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।

6. भविष्य में अधिवक्ताओं का नाम पैनल में बरकरार रखने अथवा उन्हें पैनल से हटाये जाने का अधिकार पूर्णरूपेण विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। अधिवक्ताओं को उनकी आवश्यकता अथवा उनके द्वारा निष्पादित कार्यो की गुणवत्ता के अनुरूप उपर्युक्त पैनल को विभागीय प्रधान सचिव/सचिव का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर भी परिवर्तित/संशोधित /रद्द किया जा सकेगा।

7. पैनल में नाम शामिल होने अथवा अन्य किसी आधार पर भविष्य में नियुक्ति का कोई भी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

8. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)विविध–19/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)विविध–19/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)विविध–19/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – सचिव, विधि विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटन को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक –वि०प्रा०(।)विविध–19/2014 1681 /पटना, दिनांक– 24-7-2015

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आप्त सचिव/सभी राजपत्रित पदाधिकारी/सभी संबंधित अधिवक्ता/सभी सहायक/उच्च वर्गीय लिपिक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/15

24/7/15

सरकार के अपर सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।